संचिका संख्या : 5568/4/26/2021

दिनांक : .05.07.2022

आवेदक के द्वारा उनके पिताजी जो पटना विश्वविद्यालय में **Zoology** विभाग में **JTA** के पद पर 29.01.1982 से मार्च 2021 तक अपनी सेवा दिये है, का बकाया वेतन का भुगतान एवं उन्हें अनुकंपा के आधार पर नौकरी दिलाने के अनुरोध के साथ यह आवेदन दाखिल किया गया है।

पूर्व में कुल सचिव पटना विश्वविद्यालय से एक प्रतिवेदन प्राप्त है जिसके द्वारा यह निम्नलिखित तथ्यों को प्रतिवेदित किया गया हैः—।

1. स्व0 राजीव शुक्ला, कनीय तकनीकी सहायक, भूगर्भशास्त्र विभाग, पटना विश्वविद्यालय की नियुक्ति दिनांक 29.01.1982 को हुई थी। वास्तविक सेवानिवृति तिथि 30.11.2022 थी। विभागाध्यक्ष, भूगर्भशास्त्र के पत्रांक **Geol/48/2019** दिनांक 24.08.2019 द्वारा जुलाई के अन्तिम सप्ताह से बिना सूचना तथा बिना किसी प्रकार के छुट्टी लिये विभाग से अनुपस्थित थे।
2. विभागाध्यक्ष ने स्व0 शुक्ला से पत्रांक **Geol/02/20,** दिनांक10.01.2020 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया। पुनः विभागाध्यक्ष के पत्रांक **Geol/12/20,** दिनांक 17.02.2020 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया।
3. स्व0 शुक्ला ने दिनांक 18.02.2020 को स्वैच्छिक सेवानिवृति दिनांक 22 जुलाई, 2019 से अनुरोध किया।
4. विभागाध्यक्ष ने पत्रांक **Geol/34/20,** दिनांक 04.09.2020 द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृति पर वस्तुस्थिति से अवगत कराने के लिए अनुरोध किया।
5. विश्वविद्यालय पत्रांक एसी./स्था/1046 दिनांक 21.09.2020 द्वारा विभागाध्यक्ष एवं स्व0 शुक्ला को निर्देशित किया गया कि स्वैच्छिक सेवानिवृति आवेदन पर स्थायी कुलपति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।
6. विश्वविद्यालय पत्रांक एसी/स्था/1318 दिनांक 01.12.2020 द्वारा स्व0 शुक्ला से अनुरोध किया गया कि स्वैच्छिक सेवानिवृति लेने के लिए पुनः आवेदन प्रस्तुत करें।

विभागाध्यक्ष के पत्रांक Geol/53/20, दिनांक 03.12.2020 द्वारा स्व0 शुक्ला के आवसीय पता पर भेजा गया।

7. विभागाध्यक्ष के पत्रांक Geol/56, दिनांक 12.12.2020 द्वारा सूचित किया गया स्व0 शुक्ला के अधिवक्ता द्वारा प्राप्त हुआ।
8. अभिषद की बैठक दिनांक 21.01.2021 को निर्णय कार्यसूची SND दिनांक 21.01. 2014 का (xi) द्वारा स्व0 शुक्ला के स्वैच्छिक सेवानिवृति को अनुमोदित किया गया।
9. विश्वविद्यालय कार्यालय आदेश ज्ञाप संख्या–एसी/स्था/242 दिनांक 17.02.2021 द्वारा दिनांक 22.07.2019 से स्वैच्छिक सेवानिवृति दी गई। साथ ही, विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 की धारा C के तहत तीन माह का वेतन एवं भत्तों के समतुल्य राशि सेवान्त लाभ से वसूल करने का आदेश दिया गया।
10. दिनांक 02.08.2021 को अधिराज कनिष्क का अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति एवं स्व0 शुक्ला के वेतन भुगतान हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। विश्वविद्यालय पत्रांक एसी/स्था/925 दिनांक 07.09.2021 द्वारा सूचित किया गया पत्रांक एसी/स्था/242 दिनांक 17.02.2021 द्वारा पटना विश्वविद्यालय अभिषद की बैठक दिनांक 2.01.2021 में लिये गये निर्णय के आलोक में स्व0 शुक्ला को 22.07.2019 से स्वैच्छिक सेवानिवृति दी गई है। सेवानिवृति के उपरान्त मृत्यु होने पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है।
11. जहाँ तक वेतन भुगतान का प्रश्न है तो यह अभी प्रकियाधीन है।

उपरोक्त प्रतिवेदन की प्रति आवेदक को भेजते हुए उन्हें अपना प्रत्युत्तर दाखिल करने का अवसर दिनांक 07.03.2022 के आदेश के द्वारा दिया गया था तथा कुल सचिव को भी भुगतान के संबंध में अद्यतन प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया था।

कुल सचिव पटना विश्वविद्यालय का अद्यतन प्रतिवेदन प्राप्त है जिसके द्वारा यह निम्नलिखित बातें प्रतिवेदित किया गया है

1. बकाये वेतन का भुगतान Advice No 632 दिनांक 01.02.2022 द्वारा रुपये 8,51,360/– (आठ लाख एकावन हजार तीन सौ साठ रुपये मात्र) किया गया है।

2. ग्रुप बीमा का भुगतान विश्वविद्यालय पत्रांक एसी/लेखा/528 दिनांक 07.04.2022 द्वारा रुपये 60,058/— (साठ हजार अंठावन मात्र) किया गया है।

3- पेंशन एवं ग्रेच्यूटी का भुगतान विश्वविद्यालय पत्रांक एसी/पेंशन/186 दिनांक 07.02.2022 द्वारा रुपये 16,76,682/—(सोलह लाख छियत्तर हजार छः सौ बेरासी मात्र) किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक से यह प्रतीत होता है कि आवेदक के आवेदन पर कार्रवाई की जा रही है अतः इस आवेदन पर आगे की कार्रवाई बंद करते हुए इस आवेदन को संचिकास्त किया जाता है।

आदेश की प्रति आवेदक को सूचनार्थ भेजने का निर्देश दिया जाता है।

(Justice Vinod Kumar Sinha, Retd.)
Chairperson